न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा)

वाद संख्या :– 12/04/2017

1. भागीरथ पुत्र हरिया जाति गुर्जर निवासी धीरोडा तहसील राजगढ़ – अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र हरिया जाति गुर्जर निवासी धीरोडा तहसील राजगढ़
2. ग्राम पंचायत गोला का बास जरिये सरपंच – रेस्पोडेन्ट

<u>अपील इन्तकाल संख्या 48 वाके ग्राम सीतापुरा</u>

<u>निर्णय</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

दिनांक 29.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट धीरोडा पर पेश हुई। अपीलान्ट द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 04/0.04, 07/0.11, 15/0.10, 16/0.16, 17/0.33 वाके ग्राम सीतापुरा तहसील राजगढ में स्थित है जिसको अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.04.2011 को अपने भाई प्रभु से खरीद की है। उसमें प्रभु का 1/4 हिस्सा था जिसमें से 1/3 हिस्सा लख्मण पु, हरिया ने व 2/3 हिस्सा भागीरथ पुत्र हरिया ने खरीद लिया है तथा इसी अनुसार कब्जे में है। ग्राम पंचायत गोला का बास ने जो इन्तकाल संख्या 48 स्वीकार किया है उसमें गलती से खरीदशुदा पूरी आराजी का अकेले लक्ष्मण पुत्र हरिया के नाम दर्ज कर दिया जबकि बयनामा के अनुसार अपीलान्ट के हिस्से में 2/3 हिस्से की आराजी दर्ज होनी चाहिए थी। उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत गोला का बास बयनामा के अनुसार सही नहीं है। अन्त में अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 48 दिनांक 20.09.2012 ग्राम पंचायत गोला का बास की कार्यवाही निरस्त करते हुए पुनः बयनामा दिनांक 11.04.2012 के अनुसार नामान्तकरण खोलने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर रैस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर जवाब पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में सहमति दी व बयनामे के अनुसार इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया।

मैंने वास्ते निर्णय पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध बयनामा दिनांक 11.04.2012 की जो प्रति संलग्न है का भी अवलोकन किया व नामान्तकरण संख्या 48 का भी अवलोकन किया। प्रस्तुत बयनामा दिनांक 11.04.2012 के इन्द्राज से अपील अपीलान्ट तथ्य सही होना साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी अपील स्वीकार करने में सहमति दी है। उक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार योग्य पायी जाती है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलान्ट हाल आराजी खसरा नम्बर 04/0.04, 07/0.11, 15/0.10, 16/0.16, 17/0.33 वाके ग्राम सीतापुरा तहसील राजगढ के बाबत् दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 48 दिनांक 20.09.2012 ग्राम पंचायत गोला का बास की कार्यवाही निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार राजगढ को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो बयनामा दिनांक 11.04.2012 के अनुसार पुनः नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। प्रति निर्णय तहसीलदार राजगढ को पालनार्थ भिजवायी जावे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट धीरोडा)